प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

सतत पैरवी कर दुष्कर्म के अभियोग में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा करायी गयी

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में दिनांक 28.01.21 को सतत पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित एक आरोपी को सजा सुनायी गयी है। पुलिस द्वारा थाना महमूदाबाद से मु0अ0सं0 46/2012 धारा 363/366/376 भा.द.वि. बनाम जगजीवन पुत्र मैकूलाल निवासी अजीमाबाद थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर में न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण करते हुए अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 363/366/376 भा.द.वि में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।